मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी, 2014

क्रमांक / एफ–9–9 / 13 / नियम / चार

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

विषयः–मध्यप्रदेश दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2013 के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिये नियम 8 अनुसार राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम लागू करने बाबत् ।

––00––

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र0–सी. 5–1–2013–3–1 भोपाल दिनांक 09 जुलाई–2013 के द्वारा मध्यप्रदेश दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम 2013 जारी किया गया है । उक्त नियम की अधिसूचना मध्यप्रदेश राज पत्र (असाधारण) में दिनांक 30 मई 2013 को जारी की गयी है । उक्त नियमों के नियम 8 अनुसार इन कर्मचारियों के लिए पेंशन फण्ड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority- PFRDA) द्वारा विनियमित राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम लागू किया गया है । अतः इस सिस्टम के सदस्य बनने हेतु निम्नानुसार प्रकिया निर्धारित की जाती है :–

1– दैनिक वेतन भोगी (दै0वे0भो0) कर्मचारियों हेतु सदस्यता उनके द्वारा दिये गये विकल्प के दिनांक से लागू होगी। विकल्प का प्रारुप परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है । कार्यालय प्रमुख प्रस्तुत विकल्प पर दिनांक सहित हस्ताक्षर करेगा । एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

2– कोषालय में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मजदूरी का आहरण कोषालयीन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से जनरेट कर किया जायेगा ।

3– राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम का सदस्य बनने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के प्रान (PRAN) जनरेशन हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी (कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत विकल्प, कार्यालय प्रमुख के द्वारा संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा) कोषालयीन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के SLIM (Salary Information Management) में एस–1 फार्म की प्रविष्टि कर उसका प्रिंट प्राप्त करेगा । संबंधित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी इस प्रकार प्रिटेंड फार्म में

निर्धारित स्थान पर फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर करेगा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी एस–1 फार्म की प्रविष्टियों को प्रमाणित कर उससे सम्बद्ध कोषालय अधिकारी के पास भेजेगा । एस–1 फार्म (प्रान जनरेशन हेतु) के पी–पेन कालम में पहले 6 अंक '0', तत्पश्चात् एम्प्लाई कोड अंकित किया जाएगा। नियुक्ति दिनांक के कॉलम में विकल्प प्रस्तुति दिनांक को अंकित किया जायेगा एवं यह तिथि जिस माह की होगी उसके अगले माह से राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम का कटौत्रा प्रारम्भ किया जायेगा ।

4– राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम के लिए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की मजदूरी (विशेष भत्ता छोड़कर) से 10 प्रतिशत के बराबर अंशदान की राशि का कटौत्रा किया जायेगा तथा 10 प्रतिशत अंशदान की राशि राज्य शासन द्वारा भुगतान की जायेगी । अंशदान की राशि आहरण एवं संवितरण अधिकारी के द्वारा मजदूरी मद में आवंटित बजट के विरूद्ध ही आहरित की जायेगी।

5– दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का, जिनका राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम का कटौत्रा किया जाना है, मजदूरी के देयक पूर्ण प्रमाणित आकस्मिक देयक (Fully Vouched Contingent Bill) पर पृथक से तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत किये जायेगे । पूर्ण प्रमाणित आकस्मिक देयक के साथ प्रपत्र–**'ब'** में जानकारी भी संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा । प्रपत्र–**'ब'** के "देयक का संक्षिप्त विवरण" के कालम क, ख, ग, घ, ङ की जानकारी पूर्ण प्रमाणित आकस्मिक देयक पर अंकित की जानी होगी ।

6– कोषालय अधिकारी द्वारा आहरित कर्मचारी अंशदान एवं शासकीय अंशदान की राशि संचालनालय पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल को इस हेतु खोले गये पृथक बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी । इसके अलावा कोषालय अधिकारी द्वारा अंशदान की राशियों से संबंधित डेटा (Subscriber Contribution File) संचालनालय पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल को प्रेषित की जायेगी । संचालनालय पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल द्वारा अंशदान की राशि ट्रस्टी बैंक को (RTGS/NEFT के माध्यम से) प्रेषित की जायेगी तथा डाटा (SCF) नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपाजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेब साईट पर लोड किया जायेगा ।

7– पेंशन फण्ड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के परिपत्र F.No.PFRDA/2013/17/PDEX/2 दिनांक 23.10.2013 द्वारा ऐसे अभिदाता जिनकी जमा राशि सेवानिवृत्ति, मृत्यु, सेवात्याग करते समय राशि 2.00 लाख या उससे कम होगी उनको उनकी पूरी जमा राशि लौटा दी जायेगी । शेष कर्मचारियों को पी0एफ0आर0डी0ए0 के परिपत्र क्र0–Cir no-PFRDA/2013/2/PDEX/2 दिनांक 22.01.2013 के अनुसार उनके खाते में जमा राशि का निम्न प्रकार से आहरण किया जा सकेगा:–

'अ' अधिवार्षिकी आयु पर 40 प्रतिशत जमा राशि से कर्मचारी को एन्युटी खरीदनी होगी एवं शेष राशि एक मुश्त देय होगी ।

'ब' मृत्यु की स्थिति में 100 प्रतिशत राशि उसके नामांकित/ वैध उत्तराधिकारी को दी जायेगी ।

'स' अधिवार्षिकी आयु के पूर्व राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम से बाहर निकलने पर 80 प्रतिशत जमा राशि की एन्युटी खरीदनी होगी एवं 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त देय होगी ।

8– जमा राशि पर लाभांश की राशि समय–समय पर पेंशन फण्ड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी लाभांश दर अनुसार अभिदाता के खाते में जमा की जायेगी ।

2/ कृपया उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु संबंधित अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ0क्रमांक / एफ–9–9 / 13 / नियम / चार

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी, 2014

प्रतिलिपिः–

1–आयुक्त कोष एवं लेखा पर्यावास भवन भोपाल म0प्र0 ।
2–संचालक, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. भोपाल ।
3–समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा म0प्र0 ।
4–समस्त संभागीय पेंशन अधिकारी म0प्र0 ।
5–समस्त कोषालय अधिकारी, म0प्र0 ।
6–समस्त जिला पेंशन अधिकारी म0प्र0 ।

(अजय चौबे)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

परिशिष्ट – अ

विकल्प का प्रारुप

1–मैं ——————————————(नाम)——————————————————

कार्यालय———————————————मध्यप्रदेश दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम 2013 के बिन्दु 8 (2) के अन्तर्गत **राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का सदस्य बनना चाहता हूं ।**

आवेदक के हस्ताक्षर दिनांक सहित

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर दिनांक सहित

प्रपत्र–'ब'

राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अंतर्गत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के मजदूरी का विवरण(पूर्ण प्रमाणित आकस्मिक देयक के साथ संलग्न करें)

कार्यालय का नाम...मजदूरी का माह .... वर्ष...............................

स.क.	यूनिक एम्प्लाई कोड	दै.वे.भो. का प्रान	दै.वे.भो. कर्मचारी का नाम	मजदूरी की राशि	कालम 5 मे अंकित मजदूरी के 10 प्रतिशत राशि का दै. वे.भो. का एन. पी. एस. अंशदान	दै.वे.भो.कर्मचारी की मजदूरी दै.वे.भो. के अंशदान कटौत्रा के बाद	विशेष भत्ता की राशि यदि कोई हो तो	दै.वे.भो. कर्मचारी के बैंक खाते मे देय शुद्ध राशि	दै.वे.भो. कर्मचारी के अंशदान के समतुल्य शासकीय अंशदान की राशि (कालम 6 के समतुल्य)
									10
						7=(5-6)	8	9 =(7+8)	
			4	5	6				
1	2	3							
कुल									

देयक का संक्षिप्त विवरण (देयक पर अंकित किया जाना है)

स.क्रं.	देयक का विवरण	जैसा कि कालम में अंकित है	राशि रूपये में	रिमार्क
अ	दै.वे.भो. कर्मचारी के एन.पी. एस. अंशदान की कुल राशि	कालम 6 के कुल योग के अनुसार		ई–चैक के लिए
ब	दै.वे.भो. कर्मचारी के बैंक खाते में जमा की जाने वाली कुल शुद्ध राशि	कालम 9 के कुल योग के अनुसार		
स	शासकीय अंशदान की कुल राशि	कालम 10 के कुल योग के अनुसार		बजट उपयोगिता
द	देयक की सकल राशि	कालम (5+8+10) के कुल योग को मिलाकर		ई–चैक के लिए
य	दै.वे.भो. कर्मचारी के एन.पी. एस. अंशदान एवं शासकीय अंशदान की कुल राशि जो संचालनालय पें.भ.नि.बी. के खाते में जमा की जानी है ।	कालम 6 एवं 10 के कुल योग को मिलाकर		

दै.वे.भो.कर्मचारियों की कुल संख्या (कालम 2 के अनुसार)..

आहरण एवं संवितरण अधिकारी के दिनांक सहित हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा..